

**डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ0प्र0) की बी0एच0एम0एस0 डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक वर्ष अनिवार्य इण्टर्नशिप करने हेतु अस्थायी पंजीकरण (Provisional Registration) कराने के लिए ऑनलाइन अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण :-**

१	हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
२	इण्टरमीडिएट अंकतालिका व प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
३	बी0एच0एम0एस0 तृतीय वर्ष व फाइनल वर्ष की अंकतालिका की तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
४	बी0एच0एम0एस0 फाइनल वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने का Passing Certificate की तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
५	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
६	आधार कार्ड की राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
७	दो चरित्र प्रमाण पत्र उ0प्र0 शासन की सेवा में कार्यरत दो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा (अधिवास के पूर्ण पते, जानने की अवधि व तिथि सहित) प्रदत्त मूलरूप में।
८	दो फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित व दो अप्रमाणित फोटो।

**नोट :-**

1. अस्थायी पंजीकरण (Provisional Registration) हेतु ऑनलाइन फार्म भरने के पश्चात् फार्म व फीस रसीद का प्रिन्ट आउट निकालकर, यथास्थान हस्ताक्षर कर सभी संलग्नकों सहित स्वयं/डाक के माध्यम से कार्यालय में प्राप्त/जमा होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
2. अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड कार्यालय में जमा/भेजे जाने वाले अभिलेखों में अभ्यर्थी के नाम/सरेनेम, अभ्यर्थी के माता-पिता के नाम/सरेनेम की स्पेलिंग व पते तथा अन्य कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है तो उक्त विसंगति/त्रुटि को अभ्यर्थी द्वारा सही कराकर, जमा करने के उपरान्त ही पंजीकरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो पायेगा।

**उ0प्र0 के विश्वविद्यालय व अन्य प्रदेश के विश्वविद्यालय/बोर्डकी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के स्थायी रजिस्ट्रेशन व अभिज्ञान पत्र के नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण :-**

१	हाईस्कूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
२	इण्टरमीडिएट अंकतालिका व प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
३	बी0एच0एम0एस0 फाइनल वर्ष की अंकतालिका व प्रोविजनल/डिग्री सार्टिफिकेट की तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
४	आधार कार्ड की राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
५	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
६	दो चरित्र प्रमाण पत्र उ0प्र0 शासन की सेवा में कार्यरत दो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा (अधिवास के पूर्ण पते, जानने की अवधि व तिथि सहित) प्रदत्त मूलरूप में।
७	दो फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित व दो अप्रमाणित फोटो।
८	इण्टर्नशिप प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
९	प्रोविजनल (अस्थायी) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा तिथि सहित सत्यापित छायाप्रति।
१०	रु० १०/- का नोटरी शपथ-पत्र कि “मैं भारतवर्ष के अन्य किसी राज्य के होमियोपैथिक बोर्ड/कौंसिल में स्थायी रूप से पंजीकृत नहीं हूँ।” मूलरूप में संलग्न करें। शपथ पत्र पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

**नोट :-**

1. स्थायी/अभिज्ञान पत्र नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन फार्म भरने के पश्चात् फार्म व फीस रसीद का प्रिन्ट आउट निकालकर, यथास्थान हस्ताक्षर कर सभी संलग्नकों सहित स्वयं/डाक के माध्यम से कार्यालय में प्राप्त/जमा होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
2. अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड कार्यालय में जमा/भेजे जाने वाले अभिलेखों में अभ्यर्थी के नाम/सरनेम, अभ्यर्थी के माता-पिता के नाम/सरनेम की स्पेलिंग व पते तथा अन्य कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है तो उक्त विसंगति/त्रुटि को अभ्यर्थी द्वारा सही कराकर, जमा करने के उपरान्त ही पंजीकरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो पायेगा।